

बईजलास :- अर्पिता सोनी, आर०ए०एस०

D.N: 424
उनवान

भवाना पिता गेन्दा कुमावत उम्र बालिग निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ

प्रार्थी

बनाम

1- मांगी देवी पत्नि मांगी लाल कुमावत उम्र बालिग निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ

2 - लहरी पत्नि धन्ना कुमावत उम्र बालिग निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ

विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०ले०रे०ए०

दिनांक 29/5/17

-:आदेश:-

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री सजंय कुमार के जरिये प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे एकल/सयुक्त खाते की भुमि ग्राम मानपुरा प०ह० मानपुरा की सरहद में आ०न० 717/1,714/1,708/1,713/1,722/1,709/1,724/1,830/1,832/1,724/6, 831 किता 11 रकबा 16 बिघा 13 बिस्वा खातेदारी में स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लडाई झगडा करते है अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र सलग्न है प्रार्थना पत्र दर्ज रजि० किया गया। प्रस्तुत पत्रावली में विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में सलग्न जमाबन्दी सम्वत 2069-72 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात खातेदार काश्तकार है पडौसियो के विवाद करने बाबत् शपथपत्र सलग्न है पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०ले०रे०ए०स्वीकार किये ग्राम मानपुरा प०ह०मानपुराकीसरहदमेंआ०न०717/1,714/1,708/1,713/1,722/1,709/1,724/1,830/1,832/1,724/6, 831 किता 11 रकबा 16 बिघा 13 बिस्वा खातेदारी भुमि की बशामलात पडौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है पत्थरगढी हेतु भु-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है कमिश्नर फीस 800/रूपये तय किये जाते है जो वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मोके पर अदा करेगा। पत्थरगढी शुल्क 100/रूपये जरिये चालान राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।



(अर्पिता सोनी)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ
माण्डलगढ जि-मौलवाडा